

जिला :- जालोर

कमिटी का निर्णय

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति वर्ग	गृह जिला	आपति का विवरण
1	किशनाराम पुनीया	हीराराम	3/14/1977	OBC	जालोर	तदसमय पूरक परीक्षा में न्यूनतम अंकों के आधार पर ही अंतरिम वरियता सूची तैयार की गई है। पूरक परीक्षा में प्राप्तांक नहीं जोड़े गये है। परिवेदना अस्वीकार की जाती है। तदसमय पूरक परीक्षा में न्यूनतम अंकों के आधार पर ही अंतरिम वरियता सूची तैयार की गई है।
2	सदीप विश्नाई	दिलीप विश्नाई	1/30/1984	OBC	जालोर	सीनियर सैकेण्डरी में 52.31 प्रतिशत व जीएनएम में 58.770 प्रतिशत कूल औसत मे 65.23 प्रतिशत कूल औसत प्रतिशत करावे।
3	फुसाराम विश्नाई	पुरजाराम विश्नाई	8/1/1973	OBC	जालोर	सीनियर सैकेण्डरी में 58.30 प्रतिशत अंक सुधार करने पर व जीएनएम में 67.08 प्रतिशत कूल औसत 62.89 प्रतिशत करावे।
4	देरामाराम	साबलाराम	3/17/1981	OBC	जालोर	पिता का नाम साबलाराम भ्रिस्ट हो गया है जबकि वास्तविक नाम साबलाराम सही है सही करावे।
5	विरमाराम	गेनाराम	12/1/1983	OBC	जालोर	प्राविजनल लिस्ट में क्र.सं. 103 पिता का नाम गोनाराम है व दस्तावेज में गेनाराम सही करावे।
6	ललीत किशोर सैन	मोहनलाल सैन	10/10/1982	OBC	जालोर	उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरिम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
7	हरीश बोहरा	पुखराज बोहरा	5/20/1981	GEN	जालोर	उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरिम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।

(Handwritten signature)

44

(Handwritten signature)

18	रामलाल	फगलुराम	6/26/1976	OBC	जालोर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबंधित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
19	चौधरी नरेंद्र	मालाराम	7/20/1981	OBC	जालोर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबंधित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
20	कमलेश भारती	अमृत भारती	5/20/1987	OBC	जालोर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबंधित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
21	राजुराम	भागीरथ राम	7/15/1983	OBC	जालोर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबंधित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
22	भरत कुमार	मफतलाल	7/4/1986	OBC	जालोर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबंधित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।
23	किशोरसिंह	ओमकारसिंह	5/5/1987	GEN	जालोर	श्रीमान् जी 11.08.08 को काउसलींग मे शामिल हुआ था फिर भी 04.05.17 की अन्तिम वरीयता सूची में मेरा नाम नहीं है	जीएनएम हेतु जारी विज्ञप्ति मे उल्लेखितानुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 मे उल्लेखित योग्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल मे पंजियन नही था। अर्थात् आवेदन करने की अंतिम तिथि को नियमो मे उल्लेखित योग्यता प्राप्त नही होन के कारण अपात्र माना गया है। अतः परिवेदना अस्वीकार की जाती है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

विराराम विश्वाजी	पूनमाराम विश्वाजी	6/1/1982	OBC	जालौर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकर किये जाने का कोई आधार नहीं है।
45	हराराम	9/5/1976	OBC	जालौर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकर किये जाने का कोई आधार नहीं है।
46	सुनिल विश्वाजी	3/19/1980	OBC	जालौर	कुल प्रतिशत 57.308 व जन्म दिनांक 19.3.1980 है 137 पर करावे।	दो अभ्यर्थियों के समान प्रतिशत होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देते हुये अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर जिले की वरियता सूची में वरियता क्रमांक में संशोधन कर दिया गया है। परिवेदना स्वीकार्य है।
47	कैलाश सठ	1/29/1981	OBC	जालौर	उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकर किये जाने का कोई आधार नहीं है।
48	बाबूलाल	5/4/1977	OBC	जालौर	द्वितीय चरण कि विज्ञप्ति में जालौर जिले की जीएनएम के पद की स्वीकृति जो कि 198 थी में बाबूलाल की जीएनएम प्रतिशत 53.308 प्रतिशत है। व कमांक 173 है।	अभ्यर्थी ओबीसी पुरुष वर्ग का अभ्यर्थी है जिनका जालौर जिले की वरियता सूची में क्रम संख्या 173 पर नाम अंकित है तथा इनके औसत प्राप्तांक 53.308 प्रतिशत है।
49	सोहनसिंह	6/4/1984	GEN	जालौर	डच्य न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए। काउंसिलींग कर 2 गुणा प्रार्थी बुलाकर अन्तिम वंचित चयन सूचि जारी की जाय,वेटीग एक माह मे जारी करावे।	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2016 की पालना में विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर परीक्षण कर पाया है कि दिनांक 15.04.2008 की स्थिति में जीएनएम के 3704 रिक्त पद उपलब्ध होना बताया गया है तदनुसार ही विभाग द्वारा जीएनएम हेतु विभिन्न चरणों में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो जिला स्तर पर जीएनएम हेतु आयोजित काउन्सिलिंग दिनांक 11.08.2008 को संबन्धित जिले में सम्मिलित हुये थे को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अतिरम वरियता सूची जारी की गई जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को पृथक कर नये अभ्यर्थियों को चयनित करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकर किये जाने का कोई आधार नहीं है।

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

50	जगदीश प्रसाद शर्मा	राधेश्याम शर्मा	7/3/1978	GEN	जालोर	6635 अभ्यर्थियों की वरियता सूचि राज्य स्तरीय अभ्यर्थी के उपनाम में संशोधन कर दिया गया है। निकाली थी, सामान्य का कट आफ 63.033 रहा था, उसके बाद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाय। पिता के नाम सही करावे। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 08.08.2007 से 15.04.2008 तक के 6172 पदों को समायोजित करते हुये जिलेवार मेरिट बनाई जाए।
----	--------------------	-----------------	----------	-----	-------	---

शर्मा



म

